अध्याय VI : कपड़ा मंत्रालय

नेशनल टैक्सटाईल, कार्पोरेशन लिमिटेड

6.1 निपटान में कमी के कारण हानि

वाणिज्यिक व्यवहारिकता सुनिश्चित किये बिना भूतपूर्व मालिक के साथ भूमि के सहभाजन के लिए निपटान समझौते में शामिल होने के कारण ₹ 205.01 करोड़ की हानि हुई।

वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) के अंतर्गत कार्य करने वाली नेशनल टैक्साटाईल कार्पोरेशन (एम एम) लिमिटेड (कंपनी) को 1993 में रूग्ण कंपनी घोषित किया। इसके पश्चात, टैक्सटाईल उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत, श्री मधुसूदन मिल्स (मिल), मुंबई सहित कंपनी की विभिन्न कपड़ा मिलों को राष्ट्रीकरण कर दिया गया। मिल पुनर्निर्माण हेतु एक योजना औद्योगिकऔर वित्तीय पुन: निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा 2002 में संस्वीकृत की गई और परिकल्पित योजना के अनुसार, मिल का अलाभकारी मान लिया गया, जिसे बंद किया जाना था और लाभकारी मिलों के पुनरूद्वार निधि देने हेतु निपटान किया जाना था।

इसी बीच, मिल के पिछले मालिक अर्थात् हॉल और एंडरसन लिमिटेड (एचएएल) ने अपने राष्ट्रीयकरण को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय (अक्तूबर 2004) में एक रिट याचिका दाखिल की। एचएएल ने औद्योगिक और वित्तीय पुन:निर्माण प्राधिकरण (एएआईएफआर) में बीआईएफआर ₹ द्वारा संस्वीकृत पुनरूद्वार योजना को इस आधार पर चुनौती (2005) भी दी कि मिल को अलाभकारी घोषित नहीं किया जाना चाहिए था। एएआईएफआर (जुलाई 2006) को सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल (2006) की गई विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के प्रति खारिज कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय (दिसंबर 2006) द्वारा पास किये गये एक अंतरिम आदेश द्वारा निर्देशानुसार संपत्ति को नहीं बेचना चाहिए। बाद मे, एचएएल ने उच्चतम न्यायालय में मिल को एसपीवी/जेवी के रूप में अधिकार में लेने के लिए अनुमोदन करते हुए एक आवेदन-पत्र (जून 2008) दाखिल की। उच्चतम न्यायालय ने आदेश (22 जुलाई 2008) दिया कि यदि याचिकाकर्त्ता ने मैत्रीपूर्ण निपटान के लिए कंपनी को अनुमोदन के साथ आग्रह किया तो उक्त पर विचार किया जा सकता था और उस पर लिये गये निर्णय को उच्चतम न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया था। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, एचएएलने

मैत्रीपूर्ण निपटान के लिए कपड़ा मंत्रालय (एमओटी) और कंपनी के साथ मिल के पुनरूद्धार और पुनर्निमाण के लिए एक प्रस्ताव (02 अगस्त 2008) रखा।

एमओटी ने किसी समझौते को मानने से पहले कंपनी को विधिक सलाह लेने का निर्देश दिया। तदनुसार, कंपनी द्वारा भारत के महान्यायवादी (एजीआई) की विधिक सलाह ली (अक्तूबर 2008) गई। एजीआई के विचारानुसार, कंपनी को विधिक संरचना के अंतर्गत वाणिज्यिक व्यवहार्यता और योग्यता सहित प्रस्ताव के सभी पहलुओं की पूर्ण जांच और संवीक्षा के बाद मैत्रीपूर्ण निपटान हेतु प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता था।

मिल की भूमि एक अन्य मिल नामत: कोहीनूर मिल के मामले में किये गये विगत समझौते के अनुरूप ही एनटीसी और एचएएलके बीच 65:35 के अनुपात में सहभाजित किये जाने के निर्णय (नवंबर-दिसंबर 2008) के मामले की जांच के लिए कंपनी द्वारा एक समिति गठित की गई। विचारानुसार, एचएएल बीआईएफआर योजना में उल्लिखित ₹ 83.86 करोड़ की भूमि के वसूली योग्य मूल्य के आधार पर 33.05♦ करोड़ (वाहन विलेख के कार्यान्वयन/पंजीकरण के लिए सभी लागतों, प्रभारों, स्टांप शुल्क के साथ ₹ 83.86 का 35 *प्रतिशत* अदा करेंगी। एमओटी ने एजीआई के परामर्श के अनुसार वाणिज्यिक व्यवहार्यता के बारे में एनटीसी के संतुष्ट होने पर की शर्त पर प्रस्ताव को अनुमोदित (जनवरी 2009) किया। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने निदेशकमंडलके निर्णयानुसार उच्चतम न्यायालय में (फरवरी 2009) में समझौते की शर्ते दाखिल की। 33.05 करोड़ की समझौता राशि अप्रैल से जुलाई 2009 के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त की गई।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि:

- वाणिज्यिक व्यवहाय्रता की जांच के लिए एजीआई के सुस्पष्ट विचारऔर एमओटीज़ की पुनरावृत्ति (जनवरी 2009) के बावजूद कंपनी को भारत के महान्यायवादी के परामर्श के अनुसार वाणिज्यिक व्यवहार्यता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए, अभिलेख में यह दर्शाने के लिए ऐसा कुछ नहीं था कि एनटीसी ने अपने वाणिज्यिक हित की जांच की और संरक्षित किया। तथ्य से यह स्पष्ट है कि कंपनी द्वारा प्राप्त बीआईएफआर योजना में विनिर्दिष्ट समझौता राशि ₹ 83.86 करोड़ के आधार पर एनटीसी द्वारा किये गये दावे के रूप में परिसंपतियोंके विक्रय से प्राप्त संभावित वसूलीनहीं थी बल्कि येाजना की लागत पूरी करने के लिए कवेल एक संतुलन आंकड़ा था। तथ्य की पुष्टि इदस बात से

♦भारत के केन्द्रीय बैंक को अदा किये गये ₹2.16 करोड़ और वैधानिक शुल्क ₹1.54 करोड़ सहित

की गई कि मिल का मूल्य 2002 में ₹ 157.91 करोड़ पर उक्त बीआईएफआर योजना में लगाया गया था और स्टांप ड्यूटी रेडी रेकोवर मुंबई (2009) के अनुसार विकसित भूमिदर ₹ 86,300 प्रति वर्ग मीटर थी।

- एचएएल के साथ अनुचित समझौते के कारण ₹ 86,300 प्रति वर्ग मीटर की दर के आधार पर एनटीसी को ₹ 205.01 करोड़ की हानि हुई। उसी क्षेत्र में अन्य मिल (भारत मिल) की भूमि हेतु उसी वर्ष अर्थात नवंबर 2009 के दौरान एनटीसी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य के आधार पर हानि लगभग ₹ 577.02 करोड़[♥] **(अनुग्नक-XX)।**

- विस्तृत समझौता शर्तों को एमओटी द्वारा न किये गये मूल्यांकन के आधार पर समझौता राशि एमओटी (दिसम्बर 2008) को एनटीसी द्वारा प्रेषित की गई थी और समझौते का अनुदान इस शर्त के साथ एमओटी (जनवरी 2009) द्वारा किया गया कि एनटीसी एजीआई के परामर्शानुसार वाणिज्यिक व्यवहार्यता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगी।

एनटीसी ने कहा (फरवरी 2014) कि चूंकि यह एक समझौता है और एक विक्रय लेन-देन नहीं रखा गया और केवल भूमि का सहभाजन ही समझौते का अंतिम परिणाम था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। यद्यपि, यह एक समझौता था और कोई विक्रय लेन-देन नहीं, वाणिज्यिक व्यवहारिकता की जांच करते समय कंपनी/मंत्रालय भूमि के किसी स्पष्ट मूल्य तक पहुँचने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य पर समझौता प्रचलित बाजार मूल्य से काफी कम रहा।

इस प्रकार, इस तथ्य एमओटी/एनटीसी का कि संपति पूर्णस्वामित्व भूमि थी; की अनदेखी कर एमओटी/एनटीसीका समझौता करने के निर्णय के कारण अपनी वाणिज्यिक व्यवहार्यता का समुचित आकलन किये बिना कंपनी को कम से कम ₹ 205.01 करोड़ की हानि हुई।

नवंबर 2013 में मामला मंत्रालय को सूचित कर दिया गया; उनका उत्तर प्रतिक्षित (मार्च 2015) था।

[♥]भारत टैक्सटाईल मिल्स, के लिए आरक्षित मूल्य' के संदर्भ में हानि निकाली गई। यद्यपि भारत टैक्सटाईल मिल्ज़ को ₹1505 करोड़ में बेच दिया गया (सितंबर 2010 में अपने आरक्षित मूल्य से दूगने से अधिक)।